

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश

जिला प्रबंधक, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 4793 दिनांक 22.11.17 द्वारा 09 कार्यपालक सहायकों की सेवा वापस किया गया है। जिसके आलोक में निम्न 07 कार्यपालक सहायको द्वारा इस कार्यालय में योगदान किया गया है, के आलोक में 7 कार्यपालक सहायको को उनके नाम के सामने कंडिका-05 में अंकित कार्यालय में कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है।


| क्र० | अधियाचित पदाधिकारी का पत्रांक एवं दिनांक | ID No. | नाम | कार्यालय का नाम | अभियुक्ति |
|------|---|-----------|----------------------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 54 दिनांक 12.01.18 | VAI001100 | श्री अखिलेश कुमार झा | जिला आपूर्ति कार्यालय | |
| 2 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 54 दिनांक 12.01.18 | VAI000039 | अमित कुमार | जिला आपूर्ति कार्यालय | |
| 3 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 54 दिनांक 12.01.18 | VAI00329 | श्री नितिश कुमार | जिला आपूर्ति कार्यालय | |
| 4 | असैनिक शल्य चिकित्स सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2360 दिनांक 13.12.17 | VAI000054 | श्री अनिल कुमार | असैनिक शल्य चिकित्स सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2360 दिनांक 13.12.17 | |
| 5 | असैनिक शल्य चिकित्स सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2360 दिनांक 13.12.17 | VAI000537 | श्री अभिषेक कुमार | असैनिक शल्य चिकित्स सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2360 दिनांक 13.12.17 | |
| 6 | असैनिक शल्य चिकित्स सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2360 दिनांक 13.12.17 | VAI00099 | श्री शांतनु कुमार | असैनिक शल्य चिकित्स सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2360 दिनांक 13.12.17 | |
| 7 | असैनिक शल्य चिकित्स सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2360 दिनांक 13.12.17 | VAI000054 | श्री शंकर कुमार महतो | असैनिक शल्य चिकित्स सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 2360 दिनांक 13.12.17 | |

शर्तें :-

1. नियोजन हेतु नियुक्ति पत्र संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2. इन्हें दिनांक 27.01.18 तक अंकित कार्यालय में योगदान करना होगा।
3. इनका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना सूचना के नियोजन समाप्त करने का अधिकार संबंधित पदाधिकारी/नियोक्ता का होगा।
4. प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक मिशन सोसायटी, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-531 दिनांक 01.06.17 अथवा विभागीय निदेश के आलोक में संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. वे सभी कार्य जो विभागीय पदाधिकारी /नियोक्ता उन्हें कार्यहित में आवंटित करेंगे, उसका दृढ़ता से ससमय अनुपालन करना होगा।
7. योगदान हेतु किसी प्रकार की यात्रा भता देय नहीं होगा।
8. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. इस संविदा पर किये गये नियोजन के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नियुक्ति संबंधी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

हो -
जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

- ज्ञापांक- 91 /जि0स्था0 दिनांक- 18/1/18
- प्रतिलिपि- मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सिविल सर्जन, वैशाली/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली/बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर को सूचनार्थ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी (RTPS), वैशाली हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- सभी संबंधित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित है कि निम्नांकित उपस्कारों (क) एक डेस्क टॉप (ख) एक प्रिन्टर (ब्लैक एण्ड व्हाइट) (ग) एक यू0पी0एस0 (घ) इन्टरनेट कनेक्शन डिभाईस के साथ अपना योगदान पत्र प्राप्ति के तीनों दिनों के अन्दर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका बाद में नियोजन हेतु दावा अमान्य कर दिया जायेगा।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।